पंजीकरण पुस्तिका

पंजीकरण प्रारम्भ
10 मई, 2016
से
10 जून, 2016
तक

सामान्य पंजीकरण 2016 के अन्तर्गत

इटावा आवासीय योजना, इटावा में फिनिश्ड/सेमी फिनिश्ड मध्यम आय वर्ग डुपलेक्स भवन पाने का

सुनहरा अवसर

कार्यालय प्रयोग हेतु

IS 15700 : 2005

सेवोत्तम प्रमाणित

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद
U.P. HOUSING AND DEVELOPMENT BOARD

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ.
Website : http://www.upavp.com, E-mail : upavp@sancharnet.in

मुख्य आकर्षण

1. रेलवे स्टेशन से 2 किमी. की दूरी पर स्थित।
2. बस स्टैण्ड से 3 किमी. की दूरी पर स्थित।
3. सिविल लाइन्स के करीब डी.एम. आवास से 1 किमी. की दूरी।
4. नेशनल हाइवे–2 इटावा मैनपुरी रोड पर योजना प्रस्तावित।
5. सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट योजना में प्रस्तावित।

एक परिचय

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद का गठन परिषद अधिनियम 1965 के अन्तर्गत माह अप्रैल 1966 में विभिन्न आवास एवं विकास योजनाओं का नियोजित ढंग से कार्यान्वयन करते हुए प्रदेश तथा राष्ट्रीय स्तर की आवास नीति एवं कार्यक्रम के अनुसार आवास संबंधी कार्यों में समन्वय लाने के उद्देश्य से किया गया था।

उद्देश्य

(अ) प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न आवास संबंधी कार्यकलापों की योजना बनाना एवं इन योजनाओं का शीघ्र तथा प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।

(ब) केन्द्र एवं राज्य सरकार, व्यावसायिक बैंक, वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य सार्वजनिक निगमों तथा उपक्रमों से अनुदान अथवा ऋण लेना।

(स) भूमि अर्जित करना तथा आवासीय योजनाओं में सड़क, विद्युत, जलापूर्ति, जल सम्भरण तथा

अन्य नगरीय सुविधाओं एवं आवश्यकताओं की व्यवस्था करते हुए पंजीकृत आवेदकों की मांग के अनुरूप भूखण्ड अथवा भवन आदि निर्मित करके उनको आवंटित करना।

(द) समाज के दुर्बल वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति, सुरक्षा कर्मचारी एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग के आवेदकों के लिए भवन उपलब्ध कराने हेतु विशेष प्रयास करना।

(ध) केन्द्र/राज्य सरकार तथा उसके उपक्रम अथवा अन्य संस्थाओं के लिए कार्यालय भवन, शापिंग काम्पलेक्स तथा आवासीय कालोनियों का निर्माण करना व तकनीकी सलाह देना।

(न) भवन निर्माण एवं विकास कार्यों में गति लाना तथा लागत में कमी लाने के उद्देश्य से अनुसंधान कार्यों को प्रोत्साहन देना तथा कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नालॉजी का प्रयोग करते हुए स्थानीय सामग्रियों का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित करना।

नगरीय जनसंख्या में हो रही तीव्र वृद्धि के सापेक्ष आवास की मांग को पूरा करने हेतु प्रयत्नशील।

परिषद अपनी योजनाओं के अन्तर्गत उन सभी अनिवार्य सेवाओं तथा नागरिक सुविधाओं जैसे-विद्युत-आपूर्ति, शुद्ध पेय जल, ड्रेनेज, सीवर प्रणाली, नालियों, सड़कों, पार्कों तथा सामुदायिक केन्द्र आदि की व्यवस्था करने हेतु प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही परिषद अपनी योजनाओं में विक्रय केन्द्रों, विद्यालयों एवं विभिन्न संस्थाओं आदि के निर्माण हेतु भी व्यवस्था करती है जिससे योजनाएं स्वयं परिपूर्ण शहरी इकाईयों के रूप में विकसित हो सके।

परिषद की योजनाओं में सम्पत्ति के प्रदेशन के लिये इच्छुक पंजीकृत आवेदकों के मध्य सम्पत्तियों का आवंटन लाटरी प्रणाली अथवा कम्प्यूटर के माध्यम से (स्यूडो रैंडम) प्रणाली के आधार पर किया जायेगा।

Plot Area : 72 Sq.mt.
Covered Area : 89.12 sq.mt.

GROUND FLOOR

SERVICE DUCT
TOILET 1800 X 2285
BALCONY 750 WIDE
TERRACE
FAMILY LOUNGE 6640 X 3040

FIRST FLOOR

GROUND FLOOR

Plot Area : 72 Sq.mt.
Covered Area : 89.12 sq.mt.

FIRST FLOOR

फिनिश्ड/सेमी फिनिश्ड (मध्यम आय वर्ग श्रेणी) डुपलैक्स भवनों का विवरण

पंजीकरण खुलने की तिथि : 10.05.2016 **पंजीकरण की अंतिम तिथि : 10.06.2016**

इटावा आवासीय योजना, इटावा में भवनों का विवरण

क्र. सं.	डुपलेक्स भवनों का प्रकार व क्षेत्रफल	सम्पत्ति श्रेणी कोड	भवनों की प्रस्तावित संख्या	भवनों का अनुमानित मूल्य (रु. लाख में)	प्रस्तावित पंजीकरण धनराशि (रु. लाख में)		किश्त की संख्या	प्रथम एक मुश्त धनराशि (लाख में)	मासिक किश्त की धनराशि
					सामान्य वर्ग	आरक्षित वर्ग			
1.	ए–72 प्रकार के सेमी फिनिश्ड डुपलैक्स भवन क्षे. 72 वर्गमी.	01	84	33.80	1.69	0.85	120	13.52	26200.00
2.	ए–72 प्रकार के फिनिश्ड डुपलेक्स भवन क्षे. 72 वर्गमी.	02	83	39.22	1.97	0.99	120	15.69	30400.00

भुगतान की प्रक्रिया :

- मध्यम आय वर्ग के आवंटन के पश्चात 40 प्रतिशत धनराशि एक माह में, शेष धनराशि 10 वर्षों की सब्याज मासिक किश्तों में भुगतान करना होगा।

एक मुश्त भुगतान विकल्प देने पर :

- आवंटन के पश्चात आवंटन पत्र निर्गत होने पर भवन के कुल मूल्य का 3 माह में भुगतान करना होगा।
- आवंटन के पश्चात आवंटन पत्र निर्गत तिथि से 60 दिन के अन्दर सम्पत्ति के मूल्य तथा विविध शुल्क का पूर्ण भुगतान करने पर भवनों में कुल मूल्य का 2 प्रतिशत छूट की विशेष सुविधा अनुमन्य है।

किश्तों में भुगतान विकल्प देने पर :

* ए-72 प्रकार के फिनिश्ड/सेमी फिनिश्ड मध्यम आय वर्ग डुपलेक्स भवनों के पश्चात 40% एक माह में, शेष धनराशि 10 वर्षों की सब्याज मासिक किश्तों में।

नोट

* तालिका में दर्शायी गयी सम्पत्तियों की संख्या संशोधित/परिवर्तित हो सकती हैं।
* न्यायालय के आदेशानुसार अथवा अन्य किन्हीं कारणों से यदि परिषद द्वारा आवंटन पत्र में उल्लिखित मूल्य में परिवर्तन करना पड़ा तो तद्नुसार आवंटी को भुगतान करना होगा।
* सम्पत्तियों की संख्या में कमी/वृद्धि हो सकती है जिस हेतु कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
* भवनों के मूल्य के अतिरिक्त सम्पूर्ण भूमि क्षेत्रफल हेतु तत्समय आगणित भूमि मूल्य का 12 प्रतिशत फ्रीहोल्ड चार्ज भी देय होगा।
* भवन का कब्जा शासन द्वारा निर्धारित दरों पर स्टाम्प ड्यूटी व रजिस्ट्री शुल्क की अदायगी के बाद हस्तगत किया जायेगा।
* आवंटन में परिषद/शासन द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार आरक्षण देय होगा।
* भवन का अन्तिम मूल्य आवंटन नम्बरिंग ड्रा तिथि पर प्रचलित भूमि दर के आधार पर मूल्य आगणित किया जायेगा।
* कार्नर की सम्पत्तियों पर भूमि मूल्य का 10 प्रतिशत अतिरिक्त मूल्य देय होगा।
* सम्पत्ति का मूल्य अनुमानित है जो वास्तविक गणना के आधार पर परिवर्तनीय है।

डुप्लेक्स भवन की विशिष्टियाँ

(1) सेमी फिनिश्ड प्रकार के

स्ट्रक्चर	–	भूकम्परोधी निर्माण।
चौखट	–	एम.एस. आयरन।
दरवाजे	–	फ्लश डोर शटर्स 30 एम.एम. आई.एस.आई. मार्क (बाहरी दरवाजों में)।
खिड़कियाँ	–	एम.एस. आयरन।
डोर फिटिंग्स	–	स्टेन लेस स्टील डोर फिटिंग्स
रंग रोगन	–	सफेद सीमेन्ट एक कोट बाहरी सतह पर, बाहरी दरवाजे पर एनेमल पेन्ट।

(2) फिनिश्ड प्रकार के

स्ट्रक्चर	–	भूकम्प रोधी निर्माण।
फर्श	–	लिविंग, बेडरूम एवं किचन में टाइल्स।
ट्वायलेट	–	फर्श पर ऐन्टीस्किड एवं दीवारों पर टाइल्स।
किचन	–	कुकिंग प्लेटफार्म पर बड़ौदा ग्रीन एवं प्लेट फार्म के ऊपर टाइल्स तथा स्टेन लेस स्टील का सिंक।
चौखट	–	एम.एस. आयरन।
दरवाजे	–	फ्लश डोर शटर्स 30 एम.एम. आई.एस.आई. मार्क।
खिड़कियाँ	–	एम.एस. आयरन/शटर्स एवं ग्लास ग्रिल सहित।
डोर फिटिंग्स	–	स्टेन लेस स्टील डोर फिटिंग्स।
रंग रोगन	–	अन्दर की दीवारों तथा छत पर डिस्टैम्पर बाहरी सतह पर एपैक्स/वेदर कोट फिनिशिंग, दरवाजों पर एनेमल पेन्ट।
जलापूर्ति	–	सभी भवनों हेतु छत पर 500 ली. पी.वी.सी. टैंक
विद्युत	–	अग्निरोधक पी.वी.सी. कापर कन्सील्ड वायरिंग का प्राविधान।
स्टेयर केस	–	एम.एस. आयरन पाइप रेलिंग।

बैंक का नाम एवं पता जहाँ से पंजीकरण पुस्तिका प्राप्त करने एवं पंजीकरण आवेदन पत्र (पंजीकरण धनराशि सहित) जमा करने की सुविधा उपलब्ध है

पंजीकरण आवेदन जमा करने हेतु अन्तिम तिथि : 10-06-2016

योजना का नाम	पंजीकरण पुस्तिका प्राप्त एवं जमा करने हेतु बैंक
इटावा आवासीय योजना, इटावा	1. **केनरा बैंक** 761, हर्ष नगर कचेहरी रोड, इटावा यू.पी.–206001 शाखा प्रबन्धक– श्री प्रवीन कुमार बाजपेई मो. : 8192804558, 05688–253869 2. **यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया** 52 बी, सिविल लाइन इटावा (यू.पी.) शाखा प्रबंधक–श्री आर.पी. गुप्ता, मो. : 9839099332, 05688–255654

उपरोक्त के अतिरिक्त पंजीकरण पुस्तिका जन प्रकोष्ठ/प्रचार अनुभाग, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ से भी प्राप्त की जा सकती है।

आनलाईन पंजीकरण हेतु बैंक : HDFC बैंक 17/3 अशोक मार्ग, शक्ति भवन के सामने, लखनऊ

महत्वपूर्ण नोट

1. सामान्य पंजीकरण 2016 (1) की पंजीकरण पुस्तिका का विक्रय एवं पंजीकरण आवेदन पत्र समस्त संलग्नकों सहित जमा करने आदि से सम्बन्धित कार्य उपरोक्त बैंक से किया जायेगा।

2. (अ) डाक द्वारा पंजीकरण पुस्तिका मंगाने हेतु रु. 500/- (476.20 + 23.80 वैट) पुस्तिका मूल्य एवं डाक व्यय (रु. 50/-) प्रेषित कर पंजीकरण पुस्तिका उल्लिखित बैंक एवं जन प्रकोष्ठ/प्रचार अनुभाग उ.प्र. एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ से प्राप्त की जा सकती है।

   (ब) डाक में होने वाले विलम्ब के लिये बैंक/परिषद उत्तरदायी नहीं होगी।

3. बैंक ड्राफ्ट/पे-आर्डर **"उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद"** के नाम से **इटावा नगर** पर देय है, पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ जमा करना होगा। पंजीकरण धनराशि नगद नहीं जमा की जायेगी।

4. केन्द्र सरकार/उ.प्र. सरकार द्वारा यदि कोई कर जैसे वैट, सर्विस टैक्स, जी.एस.टी. टी.ओ.एस. आदि आरोपित किया जाता है तो वह आवंटी को वहन करना होगा।

आवेदन कैसे करें?

1. इस पुस्तिका के साथ संलग्न आवेदन पत्र एवं चालान को भरने से पहले आप पूरी पुस्तिका को भली भांति पढ़ लें।

2. पुस्तिका के आवेदन पत्र और चालान पर क्रमांक अंकित है इन पर एक ही क्रमांक होना चाहिये। आवेदन पत्र और चालान एक ही क्रमांक के जमा किये जाने चाहिये, अर्थात एक पुस्तिका का आवेदन पत्र तथा दूसरी पुस्तिका का चालान जमा करने पर आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिया जायेगा।

3. इस पंजीकरण जो अब खुला है, को एक चरण संख्या, 2016 (1) कोड दिया गया है। यह कोड आवेदन पत्र, चालान तथा पुस्तिका पर छपे महत्वपूर्ण चरण पत्र पर अंकित है। यह आवेदन पत्र/चालान केवल इसी चरण विशेष के लिये इसकी अन्तिम तिथि के पूर्व प्रयोग किया जा सकता है। बाद की तिथि से खुलने वाले अन्य पंजीकरण चरण के लिये नहीं। दूसरा पंजीकरण चरण प्रारम्भ होते समय आवेदन पत्र एवं चालान के साथ नई पुस्तिका उपलब्ध करायी जायेगी, जिस पर भिन्न सूचना वाला नया चरण पत्र लगा होगा।

4. यदि आवेदन पत्र एवं चालान पर चरण कोड या क्रमांक नहीं मुद्रित है या पुस्तिका के आवेदन पत्र/चालान पर क्रमांक भिन्न है तो इस पुस्तिका को लौटा दें। आपको दूसरी प्रति बिना मूल्य तुरन्त उपलब्ध करा दी जायेगी। यदि छपा/मुद्रित चरण कोड/क्रमांक काट दिया गया है और उसके स्थान पर कोई अन्य चरण कोड/क्रमांक मुद्रित किया गया है (परिषद के अधिकारी की मोहर सहित) इसका अर्थ है कि यही आवेदन पत्र/चालान पुनः उस दूसरे पंजीकरण चरण में उपयोग किया जा सकता है जो चरण कोड/क्रमांक अब अंकित किया गया है।

5. आवेदन पत्र में सम्पत्ति श्रेणी व प्रकार का उल्लेख अवश्य होना चाहिए अन्यथा आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।

6. **पंजीकरण की धनराशि एवं आवेदन पत्र कैसे जमा करें**

इस दौर में पंजीकरण धनराशि एवं आवेदन पत्र जमा करने की व्यवस्था निर्धारित शहर के बैंक शाखा में की गयी है। ऐसा निम्नलिखित तरीकों से किया जा सकता है :-

(1) आवेदन पत्र, चालान की सभी प्रतियां भरकर निर्धारित पंजीकरण धनराशि **"उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद पंजीकरण खाता-2016 (1)"** के नाम देय बैंक ड्राफ्ट/पे-आर्डर निर्दिष्ट बैंक शाखा में जमा करें। यदि आप बैंक ड्राफ्ट जमा कर रहे हैं तो यह ध्यान रखें कि जिस नगर की बैंक शाखा में आप आवेदन पत्र जमा कर रहे हैं, ड्राफ्ट उस नगर में भुगतान योग्य हो। बैंक आवेदन पत्र तथा संलग्नकों को जमा कर लेगा तथा चालान की चौथी प्रति हस्ताक्षरित कर एवं मोहर लगाकर आपको लौटा देगा, जिसे आप सावधानी पूर्वक सुरक्षित रखें।

(2) यदि आपको डाक द्वारा आवेदन पत्र प्रेषित करना सुविधाजनक हो तो चालान की तीनों प्रतियां भरकर आवेदन पत्र तथा बैंक ड्राफ्ट सहित चरण पत्र पर बैंक के दिये गये पते पर इस प्रकार भेजें कि यह अन्तिम तिथि तक अवश्य पहुंच जाये। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद तथा उसके एजेण्ट बैंक, डाक में होने वाले विलम्ब के लिये उत्तरदायी नहीं होंगे। यह ध्यान रखें कि बैंक ड्राफ्ट सम्बन्धित शहर में भुनाया जा सकता हो। बैंक आपको चौथी प्रति डाक द्वारा भेज देगा।

(3) परिषद कार्यालय पर बैंक ड्राफ्ट, पे-आर्डर, नकद या किसी अन्य रूप से भुगतान तथा आवेदन पत्रादि स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

सामान्य नियम

1. ऊपर दी गयी कार्य विधि के अनुसार पंजीकरण के लिए बतायी गयी धनराशि आवेदन-पत्र के साथ.न जमा करने पर आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

2. केवल पुस्तिका में संलग्न प्रपत्र पर ही आवेदन-पत्र स्वीकार किये जायेंगे। अपूर्ण या गलत आवेदन-पत्र अस्वीकार किये जा सकते हैं।

3. इस चरण की अन्तिम तिथि, जो पुस्तिका में दी गयी है, के पश्चात् जमा किये गये आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं होंगे।

4. कृपया आवेदन-पत्र जमा करते समय यह भली-भांति सुनिश्चित कर लें कि वांछित भवन के आवेदन हेतु पंजीकरण सम्बन्धी सभी औपचारिकतायें पूर्ण हों, औपचारिकतायें अपूर्ण होने पर पंजीकरण किया जाना सम्भव न होगा। यदि अन्तिम तिथि बढ़ाने का कोई निश्चय किया गया तो उसकी सूचना समाचार-पत्रों में विज्ञापन द्वारा दी जायेगी।

सामान्य सूचनायें

इस पुस्तिका में केवल सामान्य सूचनायें दी गयी हैं। विस्तृत सूचना के लिये उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद भूखण्डों तथा भवनों के पंजीकरण एवं प्रदेशन सम्बन्धी विनियम-1979 यथा संशोधित जून, 1986 तथा समय-समय पर विनियावली में संशोधन जो परिषद मुख्यालय तथा आवंटन स्थलों पर निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध होगी, का अवलोकन करें। पंजीकरण एवं आवंटन सम्बन्धी सभी कार्यवाही उपरोक्त विनियमावली एवं शासनादेशों के अनुसार की जायेगी। इनमें समय-समय पर किये गये संशोधन भी लागू होंगे।

पात्रता –

1. आवेदक की आयु आवेदन करते समय 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिये।
2. आवेदक तथा उसके परिवार के पास उस नगर में जहां भवन/भूखण्ड आवंटित होना है कोई अपना भवन अथवा आवासीय भूखण्ड नहीं होना चाहिये तथा उत्तर प्रदेश के किसी अन्य नगर अथवा शहरी क्षेत्र में एक से अधिक भवन/भूखण्ड नहीं होना चाहिये।
3. आवेदक अथवा उसके परिवार के पक्ष में परिषद द्वारा सम्बन्धित नगर में पहले कोई भवन/भूखण्ड आवंटित नहीं किया गया है और यदि पहले कराये गये पंजीकरण के फलस्वरूप कोई सम्पत्ति आवंटित हो जाती है तो यह पंजीकरण निरस्त समझा जायेगा।

पंजीकरण सम्बन्धी नियम –

1. पंजीकरण एक से अधिक या संयुक्त नाम से नहीं किया जा सकता है। संयुक्त पंजीकरण केवल पति-पत्नी के नाम से अनुमन्य है।
2. अति विशेष परिस्थितियों में पंजीकरण हस्तान्तरण पति/पत्नी के नाम किया जा सकता है, पंजीकृत व्यक्ति के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति के पंजीकरण की प्रार्थना पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. पंजीकरण के खुले चरण में प्राप्त सभी आवेदन पत्रों के भली-भांति परीक्षणोपरान्त सही पाये गये सभी आवेदन पत्रों से सम्बन्धित पंजीकृत व्यक्तियों की पात्रता सूची चरणवार लाटरी द्वारा अथवा कम्प्यूटर के माध्यम (स्यूडो रैण्डम प्रणाली) से निर्धारित की जायेगी और पात्रता के आधार पर चयनित आवेदकों के मध्य सम्पत्तियों को लाटरी द्वारा चयन/आवंटित किया जायेगा।
4. परिषद में पंजीकृत हर व्यक्ति को परिषद भूखण्ड या भवन देने के लिये बाध्य नहीं है और यदि किसी आवेदक को वांछित सम्पत्ति नहीं मिल पाती तो इसके लिये वह परिषद से किसी प्रकार का हर्जाना प्राप्त करने का हकदार न होगा।

पंजीकरण का निरस्तीकरण एवं धन की वापसी

1. पात्रता चयन ड्रा में सफल पंजीकृत आवेदकों द्वारा पंजीकरण निरस्तीकरण तथा धनराशि वापसी का आवेदन प्राप्त होने पर सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय द्वारा पंजीकरण धनराशि की नियमानुसार कटौती करते हुए शेष धनराशि वापसी की कार्यवाही की जायेगी।

2. पात्रता चयन/आवंटन में असफल पंजीकृत आवेदकों को उनकी पंजीकरण धनराशि जमाकर्ता बैंक द्वारा उनके पत्र व्यवहार के पते पर एकाउण्ट पेई चेक/ड्राफ्ट के माध्यम से बिना कटौती/बिना ब्याज पात्रता ड्रा के बाद वापस कर दी जायेगी।

3. पंजीकरण प्रमाण-पत्र के खो जाने पर आवेदक को परिषद के सम्बन्धित कार्यालय में निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन पत्र जमा करना होगा ताकि उसे पंजीकरण प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति जारी की जा सके।

पंजीकरण हेतु जमा धनराशि -

1. पंजीकरण हेतु जमा धनराशि पर 4 प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज देय होगा। यह ब्याज उस धनराशि के परिषद खाते में जमा होने के माह के आगामी माह की पहली तारीख से वापस लेने की तारीख के पूर्व माह की अन्तिम तिथि तक देय होगा अथवा उसे पंजीकृत आवेदक को आवंटित सम्पत्ति के मूल्य में समायोजित कर लिया जायेगा।

2. लेकिन ऐसी धनराशि पर कोई ब्याज अर्जित देय या समायोजित नहीं होगा जो परिषद के पास एक वर्ष से कम अवधि तक जमा रही हो।

3. पंजीकरण हेतु जमा धनराशि पर ब्याज का भुगतान अलग से अथवा समय-समय पर पंजीकृत आवेदकों को नहीं किया जायेगा। यह ब्याज सम्पत्ति आवंटित होने के उपरांत उसके मूल्य में समायोजित किया जायेगा।

4. परिषद किसी भी ऐसी धनराशि या उस पर ब्याज के लिये उत्तरदायी नहीं होगी जो बैंक अथवा जमाकर्ता व्यक्ति की गलती से परिषद के खाते में जमा हुई न हो इस सम्बन्ध में परिषद का निर्णय अन्तिम होगा।

आवासीय ऋण की सुविधा

आवासीय सम्पत्ति क्रय/निर्माण करने हेतु ऋण की सुविधा निम्नलिखित संस्थाओं से उपलब्ध करायी जाती है :-

1. भारतीय जीवन बीमा निगम (हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड)
2. भारतीय स्टेट बैंक। (हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड)
3. पंजाब नेशनल बैंक। (हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड)
4. स्टेट बैंक आफ इण्डिया।
5. आई.सी.आई.सी.आई. बैंक व अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकें।

आवंटन सम्बन्धी नियम व शर्तें

1. एक आवेदक जिसमें उसके परिवार के सदस्य भी सम्मिलित हैं, को उत्तर प्रदेश के केवल एक शहर में एक ही भूखण्ड या भवन आवंटित किया जायेगा। प्रदिष्ट सम्पत्ति के नगर के अतिरिक्त अन्य किसी एक नगर में स्वयं वित्त पोषित योजना का एक भवन आवंटित किया जा सकता है।
2. आवंटित सम्पत्ति का विक्रय एवं हस्तान्तरण के सम्बन्ध में समय-समय पर परिषद् द्वारा जो नियम अनुमन्य होंगे, इस योजना के आवंटियों पर भी लागू होंगे।
3. परिषद् द्वारा सम्पत्तियों का आवंटन फ्री-होल्ड रूप में किया जायेगा।
4. पात्रता ड्रा में सफल पात्र पंजीकृत आवेदकों को लाटरी के माध्यम से सम्पत्ति विशेष का आवंटन किया जायेगा एवं लाटरी की तिथि पर प्रचलित भूमि दर तथा वास्तविक निर्माण लागत के आधार पर सम्पत्ति मूल्य की गणना की जायेगी।
5. प्रदेशन के उपरान्त सम्पत्ति न लेने पर परिषद् नियमानुसार कटौती होगी।
6. प्रदेशन-पत्र में निर्धारित तिथि तक वांछित धनराशि जमा न करने तथा अन्य औपचारिकताओं की पूर्ति न करने पर प्रदेशन परिषद् के नियमानुसार कटौती करते हुए पंजीकरण एवं प्रदेशन निरस्त कर दिया जायेगा और सम्पत्ति अन्य इच्छुक/पंजीकृत व्यक्ति को परिषद् नियमानुसार अन्य के पक्ष में इस सम्बन्ध में आवंटी का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
7. यदि किसी पंजीकृत व्यक्ति के पक्ष में आवंटन हो जाने के उपरान्त आवंटन की शर्तों को पूरा नहीं करता है तो उसका पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा। आवंटन के पश्चात निरस्तीकरण की दशा में निर्धारित पंजीकरण धनराशि का तीन माह में अधिकतम 20 प्रतिशत तथा तीन माह के पश्चात अधिकतम 50 प्रतिशत की कटौती की जायेगी।
8. किराया क्रय पद्धति पर आवंटित की जाने वाली सम्पत्ति के मूल्य तथा भुगतान की अवधि में परिवर्तन करने का अधिकार परिषद् के पास सुरक्षित है।
9. पंजीकरण/आवंटन आदि से सम्बन्धित किसी भी मामले में आवास आयुक्त का निर्णय अन्तिम होगा। उन्हें अपने विवेकानुसार इस पुस्तिका में यहाँ अथवा अन्य किसी स्थान पर वर्णित किन्हीं भी शर्तों को शिथिल किये जाने का अधिकार होगा।
10. सम्पत्ति के आवंटन हेतु सम्बन्धित शहर/योजना के स्थानीय सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय अथवा जोन कार्यालय से सम्पर्क करने का कष्ट करें।
11. शासनादेश के अनुसार सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु निर्धारित मूल्य का स्टाम्प शुल्क अथवा शासन/परिषद आदेशानुसार निर्धारित स्टाम्प शुल्क देय होगा।
12. उपरोक्त समस्त सूचनायें परिवर्तनीय हैं जिसमें किसी पूर्व नोटिस के बिना परिवर्तन का अधिकार आवास आयुक्त में निहित है।

आरक्षणः

प्रस्तावित योजना के प्रत्येक श्रेणी की सम्पत्ति में आरक्षण निर्गत शासन/परिषद के आदेशो के अनुसार प्रभावी होगा। जो वर्तमान में निम्नानुसार है।

क्र0 सं0	श्रेणी	आरक्षण प्रतिशत	अतिरिक्त रियायते तथा सूचनात्मक टिप्पणी
1	अनुसूचित जाति	21	उ0प्र0 सरकार द्वारा निर्धारित सूची के अर्न्तगत उल्लिखित जातियॉ ही पात्र होगी। पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/ उपजिलाधिकारी/तहसीलदार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करानी होगी।
2	अनुसूचित जनजाति	2	————तदैव————
3	अन्य पिछडा वर्ग	27	————तदैव————
4	मा0 विधायक /सांसद/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	5	(अ) पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ जिलाधिकारी/अधिकृत प्राविधकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना है।
5	सरकारी सेवाओं तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों।	5	पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ अधिकृत प्राधिकारी का प्रमाण–पत्र की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना है।
6	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकारण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायो के कर्मचारी	2	पंजीकरण आवेदन–पत्र के साथ अधिकृत अधिकारी/सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र मूलरूप में संलग्न करना है। शर्त यह है कि कर्मचारी नियमित अधिष्ठान के अन्तर्गत कार्यरत हों।
7	वर्तमान सैनिक, भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित	3	पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ नियत सैनिक अधिकारी /अधिकृत प्राधिकारी के प्रमाण–पत्र की छायाप्रति। किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित कराकर संलग्न करना है।
8	समाज के विकलांग व्यक्ति	3	मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना है।
9	वरिष्ठ नागरिक (आवेदन पत्र को जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि तक 60 वर्ष अथवा उससे अधिक की आयु पूर्ण होने के आधार पर)	10	मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत आयु प्रमाण-पत्र अथवा वैधानिक प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना है।
10.	परिषद योजनाओं द्वारा उसी योजना में विस्थापित व्यक्ति	कोई निश्चित प्रतिशत नहीं (अधिकतम 10 प्रतिशत)	पंजीकरण दौर के बावजूद आवंटन में सर्वोच्च प्राथमिकता, सम्बन्धित विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी एवं उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद से निर्धारित प्रमाण-पत्र संलग्न करने पर विस्थापित को दी जायेगी अथवा परिषद द्वारा निर्धारित क्षेत्रफल का भूखण्ड/भवन दिया जायेगा अथवा यथा निर्धारित वांछित श्रेणी की एक सम्पत्ति आवंटित की जायेगी।

नोट :

1. आरक्षण चार्ट क्रमांक 1 से 3 में आवेदक जिस वर्ग में आवेदन करेंगे लाटरी में उसी श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। क्रमांक 04 से 09 तक के आरक्षण शासनादेश/परिषदादेशों के प्राविधानुसार श्रेणी 01 से 03 तक व अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी के मध्य से ही हारिजेन्टल रूप से किया जायेगा।
2. आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था में परिवर्तन का अधिकार शासन/परिषद के पास सुरक्षित है।
3. क्रमांक 1 से 3 तक आरक्षण प्रमाण–पत्र उ.प्र. का ही होना अनिवार्य है।
4. विशेष श्रेणियों को दी जाने वाली रियायतों में प्रतिबन्ध यह है कि आरक्षित वर्ग के व्यक्तियों को आवासीय सम्पत्ति के मूल्य में किसी प्रकार की छूट अनुमन्य नहीं होगी। यदि आरक्षित वर्ग के पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या उनके लिये आरक्षित सम्पत्तियों की संख्या से कम होती है तो कोटा संविलियन के पश्चात् भी शेष रहने वाली सम्पत्तियों को सामान्य श्रेणी के पंजीकृत व्यक्तियों को अथवा यथा निर्धारित आवंटित कर दिया जायेगा।

विस्थापितों के लिए प्राविधान

विस्थापित को परिषद/शासनादेशों के अनुरूप वरीयता देय होगी। विस्थापितों का तात्पर्य ऐसे आवेदकों से है जिसकी भूमि/भवन को परिषद द्वारा उस योजना में अधिग्रहीत किया गया हो। विस्थापित आवेदकों के संबंध में निर्णायक मण्डल द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

मुख्य परिभाषायें

निम्नलिखित शब्द/शब्द समूह एवं संक्षिप्त शब्द इस पुस्तिका तथा संलग्न प्रपत्रों में प्रयोग किये गये हैं, जहां-जहां वे प्रयुक्त किये गये हैं, उनके निम्नलिखित अर्थ होंगे :-

आवेदक का परिवार -

इसमें स्वयं आवेदक, उसकी पत्नी/पति तथा अवयस्क बच्चे सम्मिलित हैं।

आय -

आय का तात्पर्य आवेदक के समस्त श्रोतों से होने वाली पंजीकरण से पूर्व वित्तीय वर्ष की वार्षिक आय से है, इसमें आवेदक उनके पति/पत्नी तथा अवयस्क बच्चे की आय सम्मिलित होगी।

भूखण्ड/भवन -

"भवन या मकान" शब्द में : "फ्लैट" भी सम्मिलित है तथा भूखण्ड का तात्पर्य आवासीय भूमि के भूखण्ड से है।

सम्पत्ति -

सम्पत्ति का तात्पर्य फ्लैट, भवन अथवा भूखण्ड से है।

विदेशी मुद्रा -

विदेशी मुद्रा का तात्पर्य स्टर्लिंग पौंड, यू.एस. डालर, जर्मन मार्क, जापानी येन, स्विस फ्रेंक और दीनार से हैं।

चरण (पंजीकरण का खुलना) -

इसका तात्पर्य निर्धारित अवधि के लिये विशिष्ट श्रेणी की सम्पत्ति के लिये पंजीकरण खुलने पर आवेदन पत्र आमंत्रित करने से है। चरण संख्या या कोड पंजीकरण खुलने की अवधि तथा तिथि सम्बन्धित है, इसलिये विभिन्न चरणों के लिये भिन्न होगी। इसी प्रकार पंजीकरण चरण पत्र में इस विशेष पंजीकरण से सम्बन्धित जानकारी दी गयी है।

पंजीकरण का दौर -

इसका तात्पर्य पंजीकरण की उस प्रक्रिया से है जिसके अन्तर्गत एक विशेष अवधि में पंजीकरण किया जाता है।

सरकारी सेवाओं से तात्पर्य -

उ.प्र. राज्य की सेवा में तथा उ.प्र. राज्य के अधीन गठित निगमों, उपक्रमों एवं निकायों में कार्यरत नियमित कर्मचारियों एवं अधिकारियों से है।

विस्थापित व्यक्ति -

विस्थापित आवेदकों का तात्पर्य ऐसे आवेदक से है जिसकी भूमि/भवन परिषद द्वारा उस योजना में अधिगृहीत की गयी हो।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है -

(1) जो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो और जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया हो, जिसके द्वारा इन कार्यकलापों में

भाग लेने के फलस्वरूप कम से कम दो माह की अवधि के लिये कारावास का दण्ड भोगा गया हो या जिसे नजरबंदी या अंडर ट्रायल कैदी के रूप में जेल में कम से कम तीन माह की अवधि के लिये रखा गया हो या कम से कम 10 बेंतों की सजा पायी हो या फरार घोषित किया गया हो या स्वतंत्रता संग्राम में गोली से घायल हुआ हो।

(2) जो पेशावर कांड में रहे हों या जो भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के प्रमाणित सैनिक हों या भूतपूर्व इण्डिया इण्डिपैन्डैस लीग के प्रमाणित सदस्य रहे हों।

(3) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों को आरक्षण की सुविधा वर्तमान में अनुमन्य नहीं है।

सुरक्षा सैनिक का तात्पर्य -

सेवारत/सेवा निवृत्त सुरक्षा सैनिक से है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी जाति

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी जाति का तात्पर्य शासन द्वारा प्रसारित आदेशान्तर्गत आने वाली जातियों से है।

अन्य पिछड़े वर्ग का तात्पर्य उ.प्र. (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षण अधिनियम-1994) अधिनियम संख्या-4 सन् 1994 की अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट है। इस अधिनियम की अनुसूची-दो में विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों को इस सुविधा का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। एवं समय-समय पर जारी शासनादेश में अनुसूचित जातियों से है।

नेत्रहीन तथा विकलांग व्यक्ति का तात्पर्य -

शासन अथवा जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित नेत्रहीन/विकलांग व्यक्ति से है।

परिषद कर्मचारी का तात्पर्य -

परिषद के नियमित अधिष्ठान में सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी से है जिनकी दो वर्ष सेवा पूरी हो।

परिषद का तात्पर्य -

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद से है।

विकास प्राधिकरण/जल संस्थान/नगर महापालिका व

स्थानीय निकाय के कर्मचारियों का तात्पर्य-

ऐसे कर्मचारी जो नियमित अधिष्ठान में सीधी भर्ती से नियुक्त हों।

परिशिष्ट-अ

आवेदन पत्र में भरने के लिए कोड की सूची

शहर	कोड
इटावा	049

योजना	कोड
इटावा आवासीय योजना, इटावा	156

सम्पत्ति श्रेणी	कोड
कृपया पृष्ठ 8 में दी गई सम्पत्तियों के विवरण में देखें।	

लिंग	कोड
स्त्री	F
पुरुष	M
संयुक्त आवेदन की स्थिति में	HW

भुगतान	कोड
नगद	01
किश्त	02

आरक्षण श्रेणी	कोड
अनुसूचित जाति	01
अनुसूचित जन जाति	02
अन्य पिछड़ा वर्ग	03
अनारक्षित	04

हारिजेन्टल आरक्षण कोड	
विधायक, सांसद, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	F
सरकारी सेवकों तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों।	G
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी।	B
वर्तमान सैनिक, भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित	R
समाज के विकलांग व्यक्ति	D
वृद्धजन	O
विस्थापित	W

वार्षिक आय	
मध्यम/उच्च आय वर्ग भवन	कोई आय सीमा नहीं

रु. 10/- के स्टैम्प पेपर पर (नोटरी द्वारा सत्यापित)

समक्ष उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद

शपथ-पत्र

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी .... उम्र .... वर्ष................

पुत्र/पुत्री/पत्नी .... निवासी ....
शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ :

1. मैं एतद्द्वारा शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि मैंने इस आवेदन पत्र के साथ दिये गये पंजीकरण योजना के नियमों, शर्तों, दशाओं विशेष सूचनाओं की परिभाषा, पंजीकरण के इस चरण की प्रक्रिया, जिसका उल्लेख इस पुस्तिका में किया गया है, को स्पष्ट समझ लिया तथा मैं इसके पालन का वचन देता/देती हूँ।

2. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने अथवा मेरे पति/पत्नी तथा आश्रित बच्चे ने पहले परिषद की किसी योजना के अन्तर्गत मेरे आवेदन पत्र में उल्लिखित नगर के लिये पंजीकरण हेतु आवेदन नहीं किया है।

3. जिस नगर अथवा क्षेत्र के लिये मैं आवेदन कर रहा/रही हूँ उसमें मेरा अथवा मेरे पति/पत्नी या आश्रित बच्चे के नाम कोई आवासीय भूखण्ड/भवन नहीं है। यदि आवंटन के पूर्व आवेदित नगर में किसी सदस्य द्वारा कोई भूखण्ड/भवन क्रय किया जाता है तो उसकी लिखित सूचना मैं तुरन्त परिषद मुख्यालय को दूँगा/दूँगी।

4. मेरे या मेरे परिवार के नाम उत्तर प्रदेश के किसी नगर में एक से अधिक भूखण्ड/भवन नहीं है।

5. मैं शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि गत वित्तीय वर्ष .... में (पंजीकरण भरते समय की तिथि के पूर्व के वर्ष का उल्लेख करें) समस्त श्रोतों से मेरी कुल वर्षिक आय (रु. ....) थी जिसमें मेरे परिवार के समस्त सदस्यों एवं आश्रित संबंधियों की आय सम्मिलित है।

6. मैं एतद्द्वारा शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि धारा 1 से 5 में कहा गया कथन सर्वथा सत्य है। यदि किसी समय यह ज्ञात हो कि मेरे द्वारा कोई असत्य विवरण जान-बूझकर परिषद को दिया गया है तो परिषद को मेरे विरुद्ध जो उपयुक्त समझे, कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

घोषणा

मैं एतद्द्वारा शपथ बयान करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त क्रमोंक 1 से क्रमांक 6 तक की दी गयी सूचना मेरे पूर्ण ज्ञान एवं विश्वास से सर्वथा सत्य है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

आवेदन-पत्र भरने के लिए निर्देश

1. आवेदन पर हस्ताक्षर केवल आवेदक ही करें। आवेदन पत्र हिन्दी या अंग्रेजी में भर सकते हैं।
2. आवेदक केवल भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप का ही प्रयोग करें। जैसेः- 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
3. आवेदन-पत्र कम्प्यूटर प्रणाली द्वारा सत्यापित किये जाने हैं। अंग्रेजी में भरने पर अपेक्षित है कि इसं आवेदन-पत्र को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों (BLOCK LETTERS) में भरें। हस्ताक्षर किसी भी भाषा में किये जा सकते हैं।
4. आवेदन-पत्र में भरने के विभिन्न कोड परिशिष्ट-अ में दिये गये हैं।
5. अपूर्ण आवेदनों का पंजीकरण आवेदक द्वारा सही सूचना देने के बाद ही किया जायेगा।
6. एक ब्लाक (BLOCK) में एक ही वर्ण (अक्षर या अंक) लिखें।
7. नाम अथवा पता भरते समय दो शब्दों के बीच एक रिक्त स्थान/ब्लाक छोड़ें।
8. परिषद से भविष्य में पत्र-व्यवहार के समय पंजीकरण संख्या, शहर कोड तथा चरण अवश्य अंकित करें। पंजीकरण संख्या उपलब्ध न होने पर फार्म-संख्या अंकित कर दें।
9. पत्र-व्यवहार का पता बदलने पर परिषद को तुरन्त सूचित करें।
10. आवेदन-पत्र जमा करते समय निम्न विवरण भर लें जिससे भविष्य में पत्र-व्यवहार में सुविधा होगी। कृपया भविष्य में पत्र-व्यवहार के समय, निम्न विवरण की फोटो कापी अवश्य प्रेषित करने का कष्ट करें।

पत्राचार के समय संलग्न करने हेतु विवरण

1. चरण : .... फार्म संख्या : ....
2. शहर : .... शहर कोड : ....
3. संपत्ति श्रेणी : .... सम्पत्ति प्रकार : ....
4. योजना का नाम : .... योजना कोड : ....
5. आवेदक का नाम : श्री/श्रीमती/कु. ....
6. पत्र व्यवहार का पता : ....
   ....
7. बैंक का नाम : ....
8. जमा धनराशि : रु .... जमा की तिथि : ....

योजना के क्रियान्वयन, निर्माण एवं आवंटन आदि के सम्बन्ध में निम्न कार्यालयों से सम्पर्क कर सकते हैं।

श्री लक्ष्मण प्रसाद
उप आवास आयुक्त
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद
आफिस काम्पलेक्स, कल्यानपुर कानपुर
दूरभाष : 7460010015

इं. एस.पी.एन. सिंह
अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ वृत्त
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद
आफिस काम्पलेक्स, कल्याणपुर, कानपुर
मो. नं. : 7460010031

श्री डी.के. शुक्ला
सम्पत्ति प्रबंध अधिकारी
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद
आफिस काम्पलेक्स, कल्यानपुर कानपुर
मो. नं. : 7460010690

इं. अरविन्द कुमार
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण इकाई इटावा
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद
आफिस काम्पलेक्स, कल्यानपुर कानपुर
मो.नं. : 7460010099

गुणवत्ता नीति

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद आवासीय योजनाओं के माध्यम से जीवन स्तर में निरन्तर सुधार हेतु ग्राहकों की आवश्यकताओं पर ध्यान केन्द्रित करते हुए, स्वस्थ एवं विकासपरक वातावरण व संवेदनशीलता के साथ उच्च गुणवत्ता एवं क्रय क्षमता के अनुरूप उत्पादों से ग्राहक–संतुष्टि में वृद्धि करेगी।

परिषद उत्कृष्ट मानकों के अनुरूप कार्यान्वयन से अपनी कार्य क्षमता में वृद्धि करेगी।

गुणवत्ता नीति के निर्धारित लक्ष्य

- कार्यों हेतु निर्धारित समय एवं उनकी लागत के विचलन में कमी लाना।
- ग्राहकों की शिकायतों/समस्याओं में कमी लाना।
- ग्राहकों की संतुष्टि में वृद्धि करना।

सूचना तकनीकी के क्षेत्र में एक अभिनव प्रयास

जन सुविधा केन्द्र

आवासिकी के क्षेत्र में जन सामान्य की सरल प्रक्रिया, त्वरित गति एवं प्रभावी रूप से गुणवत्ता के साथ जन समस्याओं का निराकरण घर बैठे उनकी निजी मोबाइल फोन से निःशुल्क रूप से प्रदान करने हेतु अहर्निश सेवारत

जन सुविधा केन्द्र के मुख्य उद्देश्य एवं कार्य

1. दूरभाष 1800–180–5333 टोल फ्री अथवा दूरभाष सं. 0522–2236803 के माध्यम से (वायर्स सिस्टम द्वारा) पूर्ण रूप से कम्प्यूटरीकृत कर जन समस्याओं को प्राप्त करना एवं उनका अनुश्रवण करना।
2. लम्बित होने की दशा में समयबद्ध तरीके से सम्बन्धित अधिकारी एवं उनके पर्यवेक्षणीय अधिकारी को एस. एम.एस./ई–मेल के माध्यम से अनुस्मारकों को भेजना एवं निस्तारण करना।
3. जन समस्याओं की प्रभावी समीक्षा हेतु उनका कम्प्यूटरीकृत विवरण उपलब्ध कराना।
4. समस्या दर्ज कराने वाले को उसकी समस्या के नम्बर के अनुसार निस्तारण की स्थिति की जानकारी एस. एम.एस./टेलीफोन/वेबसाइट http://uphdp के माध्यम से उपलब्ध कराना।
5. विषय विशेषज्ञ दिवस अधिकारियों द्वारा टोल की दूरभाष पर नित्य प्रत्येक दूरभाष काल पर उपलब्ध रहकर जन सामान्य की समस्याओं को सुना एवं निर्णित/निस्तारित किया जायेगा।
6. ग्राहकों की शिकायतों/समस्याओं में कमी लाना तथा ग्राहकों की संतुष्टि में वृद्धि करना।
7. उच्च अधिकारियों का जनसामान्य से सीधे संवाद स्थापित करना।
8. प्रत्येक समस्या पर प्रभावी हल निकालने का पूर्ण प्रयास करना।
9. सही आचरण, व्यवहार से दायित्व का समयान्तर्गत निर्वहन करना।
10. जनमानस की समस्याओं का निस्तारण कर उनके विभाग के प्रति स्वच्छ छवि का निर्माण एवं विश्वास जगाना।

परिषद ने ग्राहकों की
शिकायतों व समस्याओं के निस्तारण के लिए

जन-सुविधा केन्द्र

की स्थापना की है जिसमें आप फोन द्वारा अपनी शिकायत
व समस्या दर्ज करा सकते हैं। डायल करें :

1800-180-5333 (टोल-फ्री) 0522-2236803

यह सेवा प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे
से सांय 6.00 बजे तक उपलब्ध है।

मूल्य : ₹ 476.20 + 23.80 (वैट) = ₹ 500/

IS 15700 : 2005
सेवोत्तम प्रमाणित

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ.

Website : https://www.upavp.com, E-mail : upavp@sancharnet.in